



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p>20/5/25</p> 	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 83/2012 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2012/00094)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मोहम्मद हसन पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी नूरानी मस्जिद के पीछे, बीकानेर वगैरह। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनवर अली पुत्र रमजान 2. सईदन पत्नी अनवर अली तथाकथित पुत्र इमामदीन निवासीगण नाल चुंगी चौकी के पास, बीकानेर वगैरह। <hr/> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपरिथत। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपरिथत हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपरिथत हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछ लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपरिथत नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. रवि कुमार सुरपुर) संभागीय आयुक्त, बीकानेर </p>	